

**अपील संख्या 2016/00433 बउनवानी रामधन बनाम महावीर
प्रसाद वगैरह, आदेश दिनांक 03.08.2018**

पत्रावली पेश। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. एवं उनके एडवोकेट ने जाहिर किया कि हस्तगत टी.आई. से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण न्यायालय एस.डी.ओ.सरवाड़ के द्वारा दिनांक 27.06.2018 को अंतिम रूप से किया जा चुका है। अतः अब इस टी.आई. का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः इसे खारिज की जावें।

चूंकि टी.आई प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अतः यह टी.आई. प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।